न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–04 / 2025
जी सी एम एस नं.–2025 / 142

सन्तराम पुत्र बूटाराम जाति बावरी निवासी ढ़ाबा तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)

–अप्रार्थी

वकील उपस्थित

1. योगेन्द्र कुमार एडवोकेट — प्रार्थी की ओर से
2. राज पैरोकार — अप्रार्थी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः–19/8/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी को आवंटन भूमि वाके चक 2 के ए एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. (पुराना मु.न.) 237 / 479 के किला नं.–2 से 9, 11 से 25 में कुल 5.668 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हैं जो निरन्तर व निर्बाध रूप से प्रार्थी के अधिकार, अधिपत्य, कब्जा काश्त में चली आ रही है। वर्तमान जमाबंदी की प्रति सलंग्न है। कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का पिता का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भूराराम अंकित हैं जबकि प्रार्थी के पिता का सही वा वास्तविक नाम बूटाराम है। प्रार्थी ने अपने उक्त रकबा पर डिग्गी बनाने व सोलर लगाने हेतू प्रमाणित जमाबंदी व अन्य दस्तावेजात प्रमाण–पत्र वगैरा लेने हेतु आया तो प्रार्थी का ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बूटाराम के बजाय भूराराम दर्ज है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ काश्तकार पेशा व वृद्ध व्यक्ति हैं जिसे पूर्व में इस त्रुटि का कतई इल्म नहीं था। प्रार्थी के पिता के नाम में भिन्नता होने कारण प्रार्थी को डिग्गी बनाने व सोलर लगाने हेतू ऋण / अनूदान व अन्य सहकारी सहायता व कृषि भूमि से जुड़े लाभप्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त / शुद्ध करवा कर भूराराम के स्थान पर सही नाम बूटाराम दर्ज करवाना चाहता हैं जो दुरूस्त करवाने का प्रार्थी मुश्तहक हैं ताकि प्रार्थी उकत रकबा में अपने टीनेन्ट राईट का पूर्णतः एंव निर्बाध उपयोग, उपभोग कर सके तथा उक्त रकबा पर प्राप्त होने वाली सरकारी / सहकारी सहायता / अनुदान व ऋण आदि प्राप्त कर सके। प्रार्थी के नाम से उक्त भूमि की जारी खातेदारी सनद दिनांक 29.01.1988 में प्रार्थी के पिता का नाम बूटाराम दर्ज हैं एंव खातेदारी इंतकाल संख्या 6 दिंनाक 02.08.1989 मे कॉलम संख्या 9 मे प्रार्थी के पिता का सही नाम बूटाराम दर्ज हैं लेकिन लिपिकिय त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड / जमाबंदी मे प्रार्थी का पिता बूटाराम की जगह भूराराम दर्ज हो गया हैं जो सही व दुरूस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा प्रार्थी के मूल दस्तावेज आधार कार्ड आदि में भी प्रार्थी के पिता का नाम बूटाराम दर्ज है। प्रार्थी के नाम से चक 16 ए एस तहसील विजयनगर का मु.न. 23 प.न. 225 / 476 में कुल 1.7651 हैक्टर कमाण्ड रकबा और हैं जिसमे प्रार्थी के पिता का सही नाम बूटाराम दर्ज है। जमाबन्दी की प्रति सलग्न है। कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के [illegible] किए जाने दुरूस्ती हेतु प्रार्थी ने श्रीमान् तहसीलदार साहब को निवेदन किया तो उन्हों[illegible] से इंकार कर दिया तथा श्रीमान् न्यायालय से नाम दुरूस्ती का आदेश [illegible] देने की हिदायत [illegible] इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी [illegible] फरमाया जाकर वाके चक 2 के ए एम. तहसील अनूपगढ़ का मु.न. 47 पत्थर नं. 237 / 479 के किला नं. 2 से 9, 11 से 25 में कुल 5.668 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड रकबा के राजस्व रिकॉर्ड / जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त / शुद्ध किया जाकर भूराराम के स्थान पर बूटाराम दर्ज किए जाने के आदेश श्रीमान तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), अनूपगढ़ को प्रदान किये जावें।

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.21 12:55:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ को जवाब स्टेट हेतु पत्र लिखा जाकर रिपोर्ट ली गई। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबदी चक 2 के ए एम का पत्थर नं. –237/479 का मुरब्बा नं.–47 का किला नं.–2/1 का 0.152 हैक्टर, 2/2 का 0.109 हैक्टर, 3 ता 9 का 1.771 हैक्टर, 11/1 का 0.101 हैक्टर, 11/2 का 0.101 हैक्टर, 12 ता 19 का 2.024 हैक्टर, 20/1 का 0.203 हैक्टर, 21/1 का 0.203 हैक्टर, 22 ता 25 का 1.102 हैक्टर कुल भूमि 5.668 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड सन्तराम पुत्र भूराराम जाति बावरी दर्ज साकिन ढ़ाबा खातेदार दर्ज हैं गत जमाबदी में संवत 2041 से वर्तमान तक प्रार्थी का नाम सन्तराम पुत्र भूराराम दर्ज है। प्रार्थी के संलग्न चित्र प्रति सनद व इन्काल सं.–6 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030–2033 में आवटन के अमलदरामद के मुताबिक सन्तराम पुत्र बूटासिंह जाति बावरी साकिन ढ़ाबा की दुरस्ती करवानी चाहता है।

रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में पेश हैं प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम के स्थान पर बूटाराम की शुदि किये जाने हेतु सादर पेश है।

उभयपक्षकार की बहस सुनी गई पत्रावली में दर्ज तथ्यो एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का नाम सन्तराम पुत्र बूटाराम है। तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चक 2 के ए एम का पत्थर नं.–237/479 का मुरब्बा नं.–47 का किला नं.–2/1 का 0.152 हैक्टर, 2/2 का 0.109 हैक्टर, 3 ता 9 का 1.771 हैक्टर, 11/1 का 0.101 हैक्टर, 11/2 का 0.101 हैक्टर, 12 ता 19 का 2.024 हैक्टर, 20/1 का 0.203 हरैक्टर, 21/1 का 0.203 हैक्टर, 22 ता 25 का 1.102 हैक्टर कुल भूमि 5.668 हैक्टर भूमि दर्ज रिकॉर्ड हैं गत जमाबदी में संवत 2041 से वर्तमान तक प्रार्थी का नाम सन्तराम पुत्र भूराराम दर्ज है। प्रार्थी के संलग्न चित्र प्रति सनद व इन्काल सं.–6 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030–2033 में आवटन के अमलदरामद के मुताबिक सन्तराम पुत्र बूटासिंह जाति बावरी साकिन ढ़ाबा की दुरस्ती करवानी चाहता है। अतः मुताबिक तहसीलदार अनूपगढ़ रिपोर्ट, कार्यालय ग्राम पंचायत कूपली (16 ए.एस) जारी प्रमाण पत्र कमांक SPL.07 दिनांक 01.07.2025 के अनुसार एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात खातेदारी सनद, ईन्तकाल व गिरदावरी सम्वत् 2030–2033 आदि के आधार पर प्रार्थी का नाम सन्तराम पुत्र भूराराम के स्थान पर सन्तराम पुत्र बूटाराम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 2 के ए एम तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–47 पत्थर नं.–237/479 के किला नं.–2 से 9, 11 से 25 में कुल 5.668 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में प्रार्थी सन्तराम के पिता का नाम **भूराराम के स्थान पर बूटाराम** दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक** 19/8/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.21 12:55:25 IST
Reason: SelfAttested